न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 81/2023 उनवान माया देवी बनाम रामचन्द्र ::

1. माया देवी पत्नी जितेन्द्र खटीक जाति खटीक निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राज।

--प्रार्थीया

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र भूरा
2. कैलाश पुत्र बींजा
3. लाली देवी पत्नी बींजा
4. ना. सचिन दत्तक पुत्र नारायण संरक्षक माता संतोष
5. संतोष पत्नी नारायण

सर्व जाति रेगर सर्व निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

6. अमरी पुत्री सवाई
7. कमला पुत्री सवाई
8. कृष्णा पुत्री सवाई
9. केसर पुत्री सवाई
10. कानी देवी पत्नी स्व. सवाई
11. गीता देवी पत्नी स्व. गोपाल
12. छोटू पुत्र सवाई जाति जाट
13. प्रदीप पुत्र घीसालाल
14. महेन्द्र पुत्र घीसालाल
15. रमेशचन्द पुत्र गोपाल
16. रसाल पुत्री सवाई
17. राकेशी पुत्री गोपाल
18. राजू पुत्र घीसा
19. रिंकू पुत्री गोपाल
20. लाडा पत्नी स्व.घीसालाल
21. विकास पुत्र स्व. घीसालाल
22. सरोज पुत्री सवाई

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

23. प्रबन्धक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा ढसूक जिला अजमेर राज.।
24. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

--अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 12.04.2024

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 05.09.2023 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 81/2023 पर दर्ज किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा ने जाहिर किया कि प्रार्थीया की कब्जे काश्त, एकल खातेदारी व आधिपत्य की भूमि ग्राम ढसूक पटवार हल्का ढसूक में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1305/322 रकबा 0.8737 हैक्टैयर है जो कि वर्तमान में प्रार्थीया के नाम दर्ज है जिसके चारों दिशाओं में अप्रार्थीगणों की भूमि है जिस पर नक्शा ट्रेस में काबिज अनुसार तरमीम हो रखी है। प्रार्थीया अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य कर रही हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 22 एवं परिवारजन प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थी की आराजी पर ब्लात अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीया काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीया की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। प्रार्थीया द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिये प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार अराई के समक्ष पेश किया था जिसपर पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा दिनांक 21.06.2023 को सीमाज्ञान किया गया था। उक्त भूमि पर प्रार्थीया कृषि कार्य कर रही है किन्तु सीमाज्ञान होने के बावजूद अप्रार्थी उक्त भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थी की आराजी पर ब्लात अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है।

2. प्रार्थीया की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ढसूक पटवार हल्का ढसूक स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1305/822 रकबा 0.8737 हैक्टेयर का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

3. दिनांक 05.09.2023 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 01 से 24 बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहे इसीलिये दिनांक 12.04.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 से 24 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 12.04.2024 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी को सुना गया तथा प्रकरण में पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

4. हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया और प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि ग्राम ढसूक पटवार हल्का ढसूक स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1305/322 रकबा 0.8737 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1500/-रु अक्षरे एक हजार पांच सौ मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1500/- रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर वादअधीन भूमि ग्राम ढसूक पटवार हल्का ढसूक स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1305/322 रकबा 0.8737 हैक्टेयर हैक्टेयर का पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)